

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-37/2022-

3203

व०प०, राँची, दिनांक- 22/08/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय :- सी0सी0एल0 द्वारा चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना हेतु 699.38 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत 400.96 हे० एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत 298.42 हे०) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव (संख्या- FP/JH/MIN/140599/2021) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1235 दिनांक-05.12.2023, पत्रांक-257 दिनांक-09.03.2023 एवं पत्रांक-674 दिनांक-03.07.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

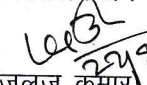
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित 1400 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) प्रस्तावित वनभूमि पर FRA के प्रावधानों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) CWLW के मंतव्य के आलोक में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (6) प्रस्ताव के पार्ट-II एवं पार्ट-III में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (7) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-37/2022-

3203

व०प०, राँची, दिनांक- 22/08/2023

प्रतिलिपि-उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ज्ञापांक-वन भूमि-37/2022-

3203

व०प०, राँची, दिनांक- 22/08/2023

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/ मुख्य महाप्रबंधक (खनन)/परियोजना पदाधिकारी, चन्द्रगुप्त खुली खदान परियोजना, सी0सी0एल0, जिला परिषद् बंगला, टंडवा, चतरा, झारखण्ड-825321 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

PART – V

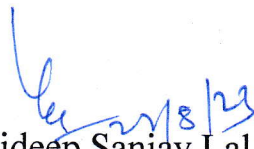
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 699.38 ha of Forest Land for Chandragupt Open Cast in favour of M/S CCL under Chatra South and Hazaribagh West Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 699.38 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-3203 dated-22/08/2023


Rajdeep Sanjay Lal John

Additional Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary

Forest Environment And
Climate Change Department

Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)